राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज0 जयपुर

क्रमांकः प.8(ड)( )का.भा. / डीएलबी / 21 / 4395 दिनांकः 01-12-21

आदेश

श्रीमती डॉ0 सौम्या गुर्जर, महापौर नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को विभागीय आदेश क्रमांक प.2 (च)(322)जांच / डीएलबी / 2021 / 1413 दिनांक 06.06.2021 द्वारा महापौर एवं सदस्य के पद से निलम्बित किया गया था। विभागीय समसंख्यक आदेश कमांक 2447 दिनांक 07.06.2021 के द्वारा श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछड़ा वर्ग (महिला), सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के प्रावधानो के दृष्टिगत महापौर का कार्यभार सौपा गया था आदेश दिनाक 07.06.2021 की निरन्तरता में विभागीय आदेश क्रमाक 3598, दिनांक 29.07.2021 व 4062 दिनाक 29.09.2021 के द्वारा आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिये महापौर के पद की कार्यभार अवधि बढायी गई थी।

नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में महापौर का पद अन्य पिछडा वर्ग (महिला) के लिए आरक्षित है। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50(1) के प्रावधानो के दृष्टिगत अन्य पिछडा वर्ग की महिला को ही महापौर का कार्यभार दिया जाना विधि सम्मत है।

अतः पूर्व आदेशो की निरन्तरता में श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछडा वर्ग (महिला), सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर की वरिष्ठता, अनुभव व नगर निगम ग्रेटर–जयपुर में राजनैतिक दल के बहुमत को मद्धेनजर रखते हुए "श्रीमती शील धाबाई अन्य पिछडा वर्ग (महिला), सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम ग्रेटर–जयपुर को महापौर के पद का कार्यभार की अवधि दिनांक 03.12.2021 को पूर्ण हो जावेगी। अतः राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानो के अध्यधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त कार्यभार अवधि पूर्व आदेश कंमांक 4062 दि. 29.09.2021 के कंम में आगामी 60 दिवस अथवा राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अन्य आदेश जो भी पूर्व हो तक के लिए कार्यभार अवधि बढाई जाती है।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(दीपक नन्दी)
निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव

क्रमांकः प.8(ड)( )का.भा. / डीएलबी / 21 / 4396-4409 दिनांक 01-12-21
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज. जयपुर।
2. विशिष्ठ सचिव, माननीय मंत्री महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
3. निजी सचिव, शासन सचिव महोदय, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
4. निजी सचिव, निदेशक एवं विशिष्ठ सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राज. जयपुर।
5. उप सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, सचिवालय राज. जयपुर।
6. जिला कलक्टर, जयपुर।
7. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
8. महापौर, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर)।
9. आयुक्त, नगर निगम जयपुर (ग्रेटर)।
10. जनसम्पर्क अधिकारी निदेशालय को प्रकाशन करवाने हेतु।
11. निदेशक / अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, राज. जयपुर को आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ।
12. श्रीमती शील धाबाई, सदस्या वार्ड संख्या 60 नगर निगम जयपुर (ग्रेटर)।
13. प्रोग्रामर निदेशालय को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
14. सुरक्षित पत्रावली।

(संजय माथुर)
वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी

C:\Users\odp\Desktop\somya gujaar letter.doc

Scanned by TapScanner